न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी-3703-एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 16.09.2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नटेरन, जिला विदिशा प्रकरण क्रमांक 36/अपील/2014-15

---

1. भूरे सिंह आ. नारायण सिंह
2. प्रताप सिंह आ. नारायण सिंह
   निवासी - ग्राम मूड़रा पीताम्बर
   तह0 नटेरन जिला विदिशा (म.प्र.) .....**आवेदकगण**

विरुद्ध

मोहर बाई पत्नी भगवान सिंह जाति रघुवंशी
निवासी - ग्राम मूड़रा पीताम्बर तह0 नटेरन
जिला विदिशा (म.प्र.) .....**अनावेदिका**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एच.आर. पटेल
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री भूपतलाल प्रजापति

आदेश
(आज दिनांक....21/09/16.....को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी नटेरन, जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 36/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अंतर्गत धारा-115, 116 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मूढरा पीताम्बर तहसील नटेरन जिला विदिशा

स्थित भूमि खसरा नं. 7 रकवा 11.173, खसरा नं. 27 रकवा 0.627, ख.नं. 129 रकवा 0.146 एवं ख्.नं. 133 रकवा 0.126 कुल किता 04 कुल रकवा 12.072 हे. में आवेदकगण का हिस्सा 1/4 अर्थात 3.018 हे. दर्ज रिकॉर्ड था जिसमें से आवेदकगण द्वारा दो बार रकवा 0.523 व 0.523 हे. कुल रकवा 1.046 हे. अनावेदिका को विक्रय की गई। जिसका विधिवत नामांतरण किया गया एवं शेष रकवा 1.972 हे. आवेदकगण के स्वामित्व में शेष है, परंतु हल्का पटवारी द्वारा उक्त नामांतरण के विरुद्ध आवेदकगण का संपूर्ण स्वत्व समाप्त कर दिया गया, जिसे दुरुस्त किए जाने का निवेदन किया गया। जिस पर से विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17.07.2015 द्वारा उक्त आवेदन निरस्त किया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जो आदेश दिनांक 16.09.2016 द्वारा खारिज की गई। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा वरिष्ठ निगरानी न्यायालय के निर्णय के उपरांत प्रकरण क्र. 23/अ-6/12-13 में सुनवाई का विधिवत निर्णयण् का अधिकारी था, उस पर सुनवाई न करते हुए अनाधिकृत रूप से सुनवाई योग्य न होना उल्लेखित करते हुए कार्यवाही निरस्त की गई है, यह विचारण न्यायालय को सौंपे गये अधिकार की अवहेलना है और इस प्रकार विचारण न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अविधिपूर्ण एवं सारवान अनियमितता की है।

तहसील न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य है कि अभिलेख में त्रुटिवश या किसी कारण से गलत प्रविष्ठी दर्ज हो गई है, तो राजस्व अधिकारी को जानकारी होने पर स्वमेव इन्द्राज की कार्यवाही करना चाहिए जबकि इस प्रकरण में सभी वरिष्ठ राजस्व न्यायालयों के आवेदकगण के पक्ष में निर्णय होने के उपरांत भी राजस्व अभिलेख में गलत प्रविष्ठी को यथावत रखना घोर अनियमितता का ध्योतक है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय विधि विपरीत एवं मनमाना होकर निरस्त किए जाने योग्य है।

4. अनावेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता लिखित रूप से यह तर्क दिया गया है कि आवेदकगण द्वारा अपने आवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसे त्रुटि की जानकारी कब हुई। आवेदकगण द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

की धारा 116 के तहत नियत समयावधि के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत न करने विषयक कोई समाधानकारक तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए, इस कारण विचारण म्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17.07.2015 द्वारा आवेदकगण का आवेदन स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया गया, जो वैधानिक है।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने इस आधार पर आवेदक की अपील को खारिज किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27.07.2015 धारा-32 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर पारित किया है। उनका उक्त आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है, क्योंकि तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उन्होंने प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर किया गया है। तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन संहिता की धारा 116 के तहत स्वीकार योग्य न पाये जाने के कारण नस्तीबद्ध किया गया है। तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट है कि उक्त् आदेश अंतम स्वरूप का होकर अपीलीय है। ऐसी स्थिति में अनविभागीय अधिकारी को आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील का निराकरण गुण-दोष पर करना चाहिए था। जो न करते हुए उनके द्वारा न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है। परिणामस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी का आलोच्य आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का निराकरण गुण-दोष पर विधिवत करें।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर